संख्या-97/2019/1500/22-2-2019-17(825)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2019***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री सूर्य प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-551/प्रोबे0-5-द0या0(बैठक-20.11.2018) दिनांक 08.01. 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री सूर्य प्रसाद, जो-पखनियापुर थाना-तालगांव जिला-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पति पत्नी में आपसी विवाद को लेकर दिनांक 20.05.1998 को अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मानसिक उत्पीडन किया जिसके फलस्वरूप पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-746/1998 धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 ए0डी0जे0 कोर्ट संख्या-04 सीतापुर के आदेश दिनांक 27.11.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2013 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.08.2018 तक 13 वर्ष 05 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 01 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु,कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अशोक कुमार (बंदी संख्या-15259) पुत्र श्री सूर्य प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-97/2019/1500(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in